

कार्यालय कलेक्टर जिला-बेमेतरा एवं पदेन उप-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक / 924 / अ-82 / भू-अर्जन / 2020-21

नवागढ़, दिनांक 09/03/2022

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की ढाबा व्यपवर्तन के डुबान क्षेत्र में प्रभावित भूमि के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा-19 के तहत यह घोषणा किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन -

- 1- जिला - बेमेतरा
- 2- तहसील - नवागढ़
- 3- ग्राम/नगर - कुंवरा
- 4- भूमि का क्षेत्रफल - 1.97 हे.

खसरा नंबर	रकबा हे. में
1	2
800	1.97
योग- (1)	1.97

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
भू-अर्जन अधिकारी, नवागढ़
जिला बेमेतरा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(भोस्कर विलास-संदीपान)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग